स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन , उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत सोशल सेक्टोरल वर्टिकल में यू०पी०लैण्ड एसेट अनलॉकिग सेल के गठन हेतु सीनियर कन्सल्टेन्टस के चयन हेतु स्क्रीनिंग कमेटी एवं कन्सल्टेंसी इवैल्यूएशन कमेटी की बैठक दिनांक 23 मार्च, 2026 का कार्यवृत्त।

शासन की अधिसूचना संख्या-4/2022/(2245/2022)1/01/35-आ-1-2022-13 , दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 द्वारा स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन का गठन किया गया है। स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के गठन में 07 सेक्टोरल वर्टिकल प्रखण्ड बनाने के प्राविधान है, जिसका उल्लेख शासनादेश के पैरा-6 (3) में दिया गया है।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-(4730/25)1/4//35-एस0टी0सी0-2/2015-18, दिनांक 14 नवम्बर, 2025 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, उत्तर प्रदेश की तैनाती की गयी है। उपरोक्तानुसार स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के गठन तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तैनाती के उपरान्त स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन को विधिवत स्थापित करने की कार्यवाही प्रदेश में गतिमान है।

अधिसूचना दिनांक 10-10-2022 के परिकल्पित सेक्टोरल वर्टिकल में वर्णित सोशल सेक्टर वर्टिकल के अन्तर्गत यू0पी0लैण्ड एसेट अनलॉकिग सेल प्रकोष्ठ के गठन विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या-(314/26)/314/35-एस0टी0सी0-2/2026, दिनांक 30 जनवरी, 2026 निर्गत किया गया। कार्यालय-ज्ञाप संख्या-314/35-एस0टी0सी0-2/2026, दिनांक 29 जनवरी, 2026 द्वारा यू0पी0लैण्ड एसेट अनलॉकिग सेल के मुख्य कार्य निर्धारित किए गये यथा- प्रदेश के अन्दर केन्द्र सरकार के पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग में निहित उपयुक्त भूखण्ड/परिसम्पत्तियों की पहचान करेगी। उक्त भूखण्ड से संबंधित लीगल दस्तावेजों को प्राप्त करेगी। उपरोक्त दसवेजों तथा प्रदेश सरकार के राजस्व अभिलेखों का अध्ययन करने के उपरान्त केस/प्रस्ताव तैयार करेगी। केन्द्र सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय व एजेंसीज के साथ बैठके करते हुए उपयुक्त लाक्ड भू-खण्ड/परिसम्पत्ति को राज्य सरकार के लिए वापस प्राप्त करेगी।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के दृष्टिगत यू0पी0लैण्ड एसेट अनलॉकिग सेल में तैनाती किए जाने हेतु अन्य पदों के अतिरिक्त 01 पद पर प्रोग्राम डायरेक्टर (सीनियर कन्सल्टेंट) के चयन के सम्बन्ध में दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दुस्तान एवं टाइम्स आफ इण्डिया) में दिनांक 31-01-2026 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया। विज्ञापन प्रकाशित करने के 30 दिन के अन्दर प्राप्त होने वाले एक आवेदन के सापेक्ष चयन की कार्यवाही करने के लिए कार्यालय ज्ञाप संख्या- (80/26)1/7/35-एस0टी0सी0-2/2025-25 दिनांक 12 जनवरी, 2026 के माध्यम से गठित स्क्रीनिंग कमेटी तथा कन्सल्टेन्सी इवैल्यूशन कमेटी की बैठक दिनांक 23 मार्च, 2026 को की गयी।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या-(80/26)1/7/35-एस0टी0सी0-2/2025-25 दिनांक 12 जनवरी, 2026 के द्वारा स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन द्वारा नीति आयोग, भारत सरकार के आदेश संख्या-ए-12036/2/2023-ADM.IB दिनांक 07 जुलाई, 2023 द्वारा निर्धारित (Procedure and Guidelines for Engagement of Senior Consultans/Consultans Grade-2 / Consultans Grade-1 Young Professionals in NITI Aayog, 2023 " को पूर्णतः एडाप्ट किया गया है। नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा उपरोक्त गाईडलाइन में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्र के सापेक्ष स्क्रीनिंग व चयन की कार्यवाही के लिए स्क्रीनिग कमेटी तथा कन्सल्टेंसी इवैल्यूएशन कमेटी की बैठक दिनांक 23 मार्च, 2026 को आहूत की गयी।

नीति आयोग, भारत सरकार के उपरोक्त आदेश/गाईडलाइन दिनांक 07-07-2023 के पैरा-6 में दिए गए एजूकेशनल क्वालीफिकेशन, एक्सपीरियंश आदि के प्राविधानों को इस चयन प्रक्रिया में अंगीकृत किया गया है।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-(80/26)1/7/35-एस0टी0सी0-2/2025-25 दिनांक 12 जनवरी, 2026 में गठित स्क्रीनिंग कमेटी में निम्नलिखित सदस्य हैं:-

1.	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस0टी0सी0-	अध्यक्ष
2.	श्री अरविन्द कुमार वर्मा, अपर निदेशक-	सदस्य
3.	वित्त नियंत्रक, एस0टी0सी0	सदस्य

कन्सल्टेंसी इवैल्यूएशन कमेटी में निम्नलिखित सदस्य हैं:-

1.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस0टी0सी0	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस0टी0सी0-	सदस्य
3.	वित्त नियंत्रक, एस0टी0सी0-	सदस्य

कन्सल्टेंसी मूल्यांकन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं समग्र मूल्यांकन के आधार पर सम्बन्धित श्रेणी के अन्तर्गत श्री अवधेश कुमार गुप्ता को उपयुक्त (Suitable) पाया गया ।

24.3.26

(अरविन्द कुमार वर्मा)	(विश्वजीत राय)	(अक्षत वर्मा)	(मनोज कुमार सिंह)
सदस्य।	सदस्य।	सदस्य।	अध्यक्ष।